

क्रमांक:-प.2(204)/डीओआईटीसी/2022/01943/2023

जयपुर, दिनांक: 23/03/2023

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ में दायर याचिका संख्या 17096/2013 दिनांक 06.08.2014 में पारित आदेश एवं राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.15(1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 और स्पष्टीकरण क्रमांक प.14(88)वित्त(नियम)2008 दिनांक 12.01.2018 एवं प. 15(88)FD/ Rules /2017 दिनांक 27.02.2022 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिकों को सूचना सहायक के पद पर उनके कनिष्ठ सूचना सहायक की कार्यग्रहण की दिनांक से काल्पनिक (Notional) आधार पर, उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र एवं संतान संबंधी घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 07 में उल्लेखित दिनांक से सूचना सहायक के पद की प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे मैट्रिक्स के लेवल-10 में स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	मेरिट न.	सूचना सहायक का नाम सुश्री/कु./श्री/श्रीमती	वर्तमान पदस्थापित विभाग/कार्यालय	सूचना सहायक के पद पर वास्तविक प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	कनिष्ठ कार्मिक की कार्यग्रहण दिनांक जिससे वेतन निर्धारण काल्पनिक (Notional) आधार पर किया गया	प्रथम ए.सी. पी. देय दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3663 A	मिथलेश कुमार	राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, आयोजना विभाग, जयपुर	10.12.2014	20.09.2013	20.09.2022	वास्तविक कार्यग्रहण दिनांक से 08 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर
2	1943A	मकसूद	कार्यालय सहायक निदेशक, लोक सेवाए, हनुमानगढ़	08.12.2014	23.09.2013	23.09.2022	
3	1581A	महिपाल सिंह भदाला	जिला औषधि भण्डार, गृह, सीकर	08.12.2014	25.09.2013	25.09.2022	

Contd...

उपरोक्त सभी सूचना सहायको का वेतन निर्धारण सम्बंधित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा वित्त विभाग की उक्त अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 के नियम 14 एवं अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के अनुसार किया जाकर प्रथम आशवासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) के आदेश एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि का इन्द्राज नियमानुसार कार्मिक की सेवा पुस्तिका में किया जाना सुनिश्चित किया जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष के स्तर पर भी यह सुनिश्चित किया जाये कि इन्हे:-

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में प्रथम आशवासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) स्वीकृत नहीं की गई है।
3. इनके विरुद्ध सी.सी.ए. 16/17 के तहत कोई विभागीय/फौजदारी जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं है।
4. कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित आशवासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक सीसीए नियमों के तहत किसी प्रकार के दण्ड से दण्डित नहीं किया गया है।
5. गत सेवाकाल में वार्षिक वेतन वृद्धियां नियमित/निरन्तर मिल रही है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(विवेक कुमार)
प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
2. सम्बंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
4. सम्बंधित सूचना सहायक।
5. सम्बंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी